

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/ग्वालियर/आ.अ./2017/3944 विरुद्ध आदेश दिनांक 30-8-2017 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/4444.

ग्वालियर एल्कोब्रू प्रायवेट लिमिटेड
(फार्मली ग्वालियर डिस्टिलरीज लि.)

रायरू फार्म, आगरा मुंबई रोड, ग्वालियर
द्वारा जनरल मैनेजर

पी.व्ही.मुरलीधरन पुत्र स्व. व्ही.व्ही.एस. नाम्बीशान
निवासी रायरू फार्म, ग्वालियर

विरुद्ध

आबकारी आयुक्त, मोतीमहल म.प्र. ग्वालियर

.....अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थी


श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/18 को पारित)

अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)-सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/4444 में पारित आदेश दिनांक 30-8-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)09-10/840 दिनांक 26-3-2009 द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2009-10 में होशंगाबाद जिले में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति प्रदाय की गई। जिसकी अवधि पत्र क्रमांक 5(1)09-10/767 दिनांक 27-3-2010 से दिनांक 30-6-2010 तक, पत्र क्रमांक 5(1)10-11/1982 दिनांक 28-6-2010 से नये संविदाकारों के चयन तक अथवा दिनांक 30-






9-2010 तक की अवधि के लिए जो भी पहले हो, तक के लिए तथा पत्र क्रमांक 5(1)09-10/2757 दिनांक 28-9-2010 से वर्ष 2010-11 की शेष अवधि के लिए बढ़ाई गई थी। जिला आबकारी अधिकारी, होशंगाबाद के प्रतिवेदन के अनुसार जिला होशंगाबाद पर महालेखाकार ऑडिट दल द्वारा निरीक्षण अवधि वर्ष 3/2010 से 1/2011 तक मद्यभाण्डागार होशंगाबाद पर रेक्टिफाइड स्पिरिट/देशी मदिरा की भरी बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा 337 दिवसों में नहीं रखा गया है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/4444 में दिनांक 30-8-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रुपये 60,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा स्टोरेज मद्यभाण्डागार होशंगाबाद में अवधि माह मार्च 2010 से जनवरी 2011 तक कुल 337 दिवसों में रेक्टिफाइड स्पिरिट/देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने से रुपये 250/- प्रतिदिन के मान से रुपये 84,250/- इस प्रकार कुल रुपये 1,44,250 /- की शास्ति अधिरोपित की गई। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रकरण में सुनवाई के दौरानी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण का निराकरण अपील मेमों में उल्लेखित आधारों एवं शासकीय अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधार व अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है। अपील मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

- (1) The impugned order passed by Excise Commissioner is against the provisions of law and liable to be set aside.
- (2) It is submitted before this Court that, before passing order Annexure A, no opportunity of hearing has been granted.
- (3) It is submitted before this Court that, the appellant has always kept the amount of stock required to be kept in compliance of country spirit rules. Therefore, at no point of time the appellant is violated Rule 4(4) of Country Spirit Rules.





(4) It is submitted before this Court that at no point of time the State Government has suffered any loss on the ground of not maintaining the minimum stock. Therefore, as such no loss has been caused to the State Government. Therefore, the appellant is not required to pay any penalty.

(5) It is submitted before this Court, that it is not the case of respondent that any point of time, the appellant was not able to provide the country liquor against any demand. Therefore, it is presumed but not admitted that at some point of time the quantity has fallen short of the required quantity, the same has not caused any loss or prejudice to the respondent. Therefore, the no penalty is required to be paid by the appellant.

(6) It is submitted before this Court the Board of Revenue in appeal no. 1010-PBR/2011 vide its order dated 25-1-2013 has held that the appellant voluntarily did not maintain the minimum stock and further no loss has ever been caused to the State Exchequer. Therefore, in view of the judgment of Board of Revenue, the appellant is not liable to pay any amount of minimum stock. Copy of the order is annexed herewith and marked as Annexure B.

(7) It is submitted before this Court that in the case reported in 2012 RN 152 has held that there is no loss caused to the state revenue then no penalty can be imposed for non-keeping minimum stock.

(8) It is submitted before this Court that even the State Govt. has challenged the validity of the order of Board of Revenue before Hon'ble High Court by filing W.P. No. 10997/2013 before Principal Seat of this Hon'ble Court at Jabalpur however the write petition preferred by the State Govt. was dismissed by holding that at no point of time. The supply has been interrupted, therefore no loss has been caused to the State Govt. which leads to levy of penalty. Copy of the judgment of Hon'ble High Court is annexed herewith and marked as Annexure-C.



(9) It is submitted before this court that, at no point of time there was any willful fault on the part of the appellant for not keeping the minimum stock of country liquor in glass bottle.

It is therefore, humbly and respectfully prayed that this Court may kindly be please to allow this appeal and set aside the impugned order dated 30-8-2017 passed by Exise Commissioner in File no. 5(1)2017-18/4444. The appellant has already deposit the mony in compliance of the impugned order, therefore the same may kindly be refunded to the appellant during the pendency of this appeal.

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) देशी स्पिट के नियम 4(4) जो कि आज्ञापक उपबंध है, के अनुसार-

4.Manufacture, working & control:--

(4) The licensee shall maintain at the distillery the minimum stock of sprit as prescribe by the Excise Commissioner from time to time.

(2) इकाई मेसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्रायवेट लिमिटेड रायरू जिला ग्वालियर को पत्र क्रमांक 5(1)09-10/840 दिनांक 26-3-2009 द्वारा अपैल, 2009 से मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए मद्यभाण्डागार होशंगाबाद के लिए सी.एस. 1 लायसेंस प्रदाय किया गया था, जिसके शर्त क्रमांक 3 के अनुसार इकाई को म.प्र. देशी स्पिट नियम, 1995 के नियम 4(4) के अनुसार विगत माह 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह रखना अनिवार्य था ।

(3) इकाई यह मासिक पत्रक प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार होशंगाबाद में कुल 337 दिवस विगत माह 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह नहीं रखा गया है ।

(4) उपरोक्तानुसार इकाई को आबकारी आयुक्त द्वारा पत्र क्रमांक 5(1)/14-15/3225 दिनांक 17-10-2014 प्रेषित करते हुए जवाब मांगा गया, जिस पर इकाई द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए वर्णित किया गया कि मदिरा सप्लाई में कोई कमी नहीं है हैं, अतः वसूली की कार्यवाही न किया जाये ।




(5) आबकारी आयुक्त ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अभिलेख के अवलोकन के पश्चात यह तथ्य पाया कि अपीलार्थी द्वारा पत्रक अनुसार लगभग 337 दिवस बोटलबंद देशी मदिरा का संग्रह नहीं रखा गया है, जो कि म.प्र. देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का उल्लंघन है और उपरोक्त आधार पर नियम 12(1) के अधीन दण्डनीय होने से 250/- प्रतिदिन के हिसाब से रूपये 84,250/- एवं न्यूनतम स्टॉक नहीं रखे जाने से 60,000/- अनियमितता हेतु अधिरोपित कर 1,44,250/- शास्ति अधिरोपित की गई है।

(5) अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया गया है कि न्यूनतम स्टॉक का भण्डार नहीं किया गया है, जो कि अपीलार्थी के स्वयं की स्वीकारोक्ति है। अपीलार्थी द्वारा अपील में ऐसा कोई तथ्य वर्णित नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि अपीलार्थी द्वारा नियम एवं टेंडर की उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि विधान के अनुसार होने से एवं उपरोक्त शास्ति सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 एवं म.प्र. देशी स्पिरिट नियम 4(4) का उल्लंघन होने से नियम 12(1) के अनुसार दंडित किया गया है, जो कि उचित एवं न्यायसंगत है।


5/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील में उल्लेखित आधारों एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र मध्यभाण्डागार होशंगाबाद पर अवधि वर्ष 03/2010 से 01/2011 कुल 337 दिवस रेक्टिफाइड स्पिरिट/देशी मदिरा की भरी बोटलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है, जबकि म.प्र. देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 4(4) के अनुसार अपीलार्थी को स्टोरेज मध्यभाण्डागार में रेक्टिफाइड स्पिरिट 7 दिन एवं भरी हुई बोटलबंद मदिरा विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य रखना अनिवार्य है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखने से, भले ही शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी द्वारा विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है, जिसका पालन अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया है, अतः अपीलार्थी का उक्त कृत्य दण्डनीय है। उपरोक्त स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर, उत्तर प्राप्त किया गया है, जिसमें आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का उत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया है। अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपने आदेश में




स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में होशंगाबाद मद्यभाण्डागार से सम्बद्ध देशी मदिरा फुटकर बिक्री दुकानों के ठेकेदारों को मांग अनुसार बोलबंद देशी मदिरा प्रदाय में विलम्ब हुआ है। मद्यभाण्डागारों पर देशी मदिरा की भरी हुई बोटलों का निर्धारित न्यूनतम संग्रह रखना विहित वैधानिक व्यवस्था है एवं आसवक इसका पालन करने के लिए बाध्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा म.प्र. देशी स्पिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से अपीलार्थी का उक्त कृत्य नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह वैधानिक दृष्टि से उचित होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-8-2017 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।


A.52


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर